



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55042

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8224 वर्ष 2026

आरिफ

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अनिल कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री डी.पी.एस. चौहान की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक को प्रकरण अपराध संख्या 27/2026, धारा 109, 191(2), 115(2), 352, 351(3), 324(4), 333 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- बैरिया, जिला- बलिया में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था। बाद में, प्रथम सूचनादाता के बयान में, साथ ही घायल के बयान में भी, आवेदक का नाम आरोपी के रूप में सामने आया, हालांकि आवेदक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक का यह भी कहना है कि घायलों की चोट रिपोर्ट से पता चलता है कि शोभा देवी की चोट को छोड़कर, तीन चोटें मामूली प्रकृति की हैं। हालांकि, शोभा देवी को गंभीर चोट पहुंचाने में किसी भी आरोपी व्यक्ति, जिसमें वर्तमान आवेदक भी शामिल है, की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 23.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **आरिफ** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए प्रेरित करे।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

7. बांड स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हो, जिसमें *जमानत देने की नीति रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय दिनांक 31.01.2023 को दिया गया था और जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था।*

18 मार्च, 2026

एसए

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”